


101

III / नमूद / २१०। भू-४० / ३७८ / ३५२

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किट कोर्ट  
रीवा ज़िला रीवा मोप्र०



- 1— रामपति पटेल तनय स्व० तुलसी पटेल उम्र 55 वर्ष पेशा कृषि Rs. 30/-
- 2— मु० रामरती विधवा पत्नी स्व० तुलसी पटेल उम्र 75 वर्ष पेशा घरकार्य  
दोनों निवासी ग्राम रीठी तह० गुढ ज़िला रीवा मोप्र०

— निगरानीकर्ता गण

बनाम

- 1— मु० भगवनियां विधवा पत्नी स्व० रामस्वयंवर पटेल
- 2— सीताराम पटेल पिता रामस्वयंवर पटेल
- 3— वीरभान पिता रामस्वयंवर पटेल
- 4— राधेलाल पटेल पिता स्व० गयादीन पटेल
- 5— मु० बतासियां विधवा पत्नी स्व० छोटेलाल पटेल
- 6— रामानुज पटेल पिता छोटेलाल पटेल
- 7— रामप्रताप पटेल पिता स्व० छोटेलाल पटेल
- 8— रामसेवक पटेल पिता स्व० छोटेलाल पटेल
- 9— श्रीमती प्रेमवती पुत्री स्व० छोटेलाल पटेल
- 10— श्रीमती कुसम कली पुत्री स्व० छोटेलाल पटेल

सभी निवासी ग्राम रीठी तह० गुढ ज़िला रीवा मोप्र०

अधिकारी रामपति पटेल  
दाता द्वा | १८.१०.१७

कल्की लॉफ टोर्ट  
राजस्व मण्डल व० प० खालियर  
(सार्किट कोर्ट) रीवा

— गैर निगरानीकर्ता गण

निगरानी विरुद्ध श्रीमान् अनुविभागीय  
अधिकारी महोदय, तहसील गुढ ज़िला रीवा  
मोप्र० के प्रकरण क०  
37 / अप्र० 2016-17 आदेश दिनांक

13-10-2017निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मोप्र० भूराओस०1959 ई०

निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

आराजी न० जिसका पुराना न० 388 नया न० 368 रकवा 2.144 है०

स्थित ग्राम उमरी उर्फ अवधेशपुर तह० गुढ ज़िला रीवा मो प्र० में स्थित है०

रामपति

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक III/लिग्न/17/3955

जिला—गोपीनाथ

पक्षकार का नाम रामपर्णी पटेल/मुख्य मन्त्री

(1)	(2)	(3)
28.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2—आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3— आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखासार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p><u>सदस्य</u></p>	